

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक: प.14(4)/शिक्षा-1/सिरोही/2014- पार्ट

जयपुर, दिनांक: 24/3/17

—:संशोधन आदेश:—

जिला सिरोही के एकीकरण के संबंध में, इस विभाग द्वारा जारी समसख्यक आदेश दिनांक 21.02.2017 में वर्णित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन सारिणी के क्रम संख्या-1 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त सारिणी के कॉलम संख्या-5 में, रा.मा.वि., मनदानी के स्थान पर रा.मा.वि., माण्डानी तथा कॉलम सं.-6 में रा.प्रा.वि. निम्बरिया बेरा मनदानी के स्थान पर रा.प्रा.वि. निम्बरिया बेरा माण्डानी पढा जावें।

आज्ञा से,




(रामस्वरूप झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
11. संभागीय आयुक्त।
12. जिला कलक्टर।
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
13. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
15. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव, प्रथम